



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

5 भाद्र, 1946 (श०)

संख्या - 549 राँची, मंगलवार, 27 अगस्त, 2024 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

1 अगस्त, 2024

संख्या-5/आरोप-1-92/2015 का.--26661 (HRMS)--श्रीमती कुमुदिनी टुइ, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-35/20), तत्कालीन अंचल अधिकारी, नामकुम, राँची के विरुद्ध राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-5667/रा०, दिनांक- 17.12.2015 के माध्यम से प्राप्त उपायुक्त, राँची के पत्रांक-447(i)/रा०, दिनांक 14.12.2015 द्वारा गठित आरोप पत्र में निम्नांकित आरोप प्रतिवेदित किया गया है:-

आरोप संख्या-1:- “निदेशक भू-अभिलेख परिमाण निदेशालय, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभागीय पत्रांक 989 दिनांक 04.12.2015 द्वारा संसूचित किया गया कि अंचल अधिकारी नामकुम द्वारा रिंग रोड निर्माण के निमित्त भू-धारियों को मुआवजा भुगतान हेतु जाँच प्रतिवेदन लम्बित रखा गया है। इस संबंध में जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, राँची के पत्रांक 1081(ii) दिनांक 30.11.2015 द्वारा भी प्रतिवेदित किया गया है कि राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी रिंग रोड परियोजना अंतर्गत नामकुम अंचल के ग्राम-आरा, बड़ाम एवं केवाली के अर्जनाधीन भूमि के रैयतों का मुआवजा भुगतान किया जाना है। मुआवजा राशि प्राप्त हेतु भू-धारियों का आवेदन पत्र भी प्राप्त है, जिसके प्रावधानानुरूप मुआवजा राशि भुगतान हेतु भू-धारियों के आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी नामकुम द्वारा भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र अथवा वंशावली उपलब्ध नहीं करायी जा रही है,

जिसके कारण भू-धारियों को मुआवजा भुगतान लंबित है। उक्त संदर्भ में अंचल अधिकारी को उपायुक्त एवं अपर समाहर्ता के स्तर से भी बार-बार निर्देश दिये गये, इसके बावजूद भी अनुपालन नहीं किया गया है। उक्त लापरवाही के कारण रिंग रोड़ जैसे महत्वपूर्ण योजना की प्रगति प्रभावित है।

आरोप संख्या-2:- राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभागीय पत्रांक 588 दिनांक 04.12.2015 द्वारा भी अंचल अधिकारी, नामकुम के विरुद्ध लापरवाही के शिकायत संबंधी पत्र प्राप्त हुए हैं एवं उनके विरुद्ध प्रपत्र "क" गठित कर संसूचित करने हेतु निदेशित किया गया है। राजस्व विभागीय पत्र में अंकित लापरवाही संबंधी बिन्दु निम्नवत है:-

- (i) दाखिल खारिज का भारी संख्या में लम्बित होना।
- (ii) दाखिल खारिज के कई मामलों का कर्मचारी स्तर पर महीनों से लम्बित होना।
- (iii) दाखिल खारिज के सैकड़ों आवदनों को अपडेट न कर कार्यालय में अनधिकृत तरीके से रखना।
- (iv) Right to Service Gaurantee Act के प्रावधानों का उल्लंघन होना।
- (v) नामकुम के RoR के Online होने के बावजूद पंजी-II का परम्परागत तरीके से Entries जारी रखना एवं संगत Entries को ऑनलाईन नहीं करना।
- (vi) पंजी-II में कई गलत Entries की शिकायतें हैं।

उक्त लापरवाही के संबंध में अपर समाहर्ता, राँची के पत्रांक 441(1) दिनांक 07.12.2015 द्वारा अंचल अधिकारी, नामकुम से समय सीमा निर्धारित करते हुए 72 घंटे के अन्दर बिन्दुवार स्पष्टीकरण की मांग की गयी, तथापि दिनांक 14.12.2015 तक उनके द्वारा उक्त स्पष्टीकरण का जवाब नहीं दिया गया। अंचल अधिकारी, नामकुम का उक्त आचरण अनुशासनहीनता का द्योतक है। उल्लेखनीय है कि अंचल अधिकारी, नामकुम द्वारा Online Mutation प्रक्रिया के तहत नामान्तरण वादों के निष्पादन में भी घोर लापरवाही बरती जा रही है।

आरोप संख्या-3:- दिनांक 29-30 अक्टूबर 2015 को नामकुम अंचल में हुए भारी ओलावृष्टि के कारण रामपुर एवं लाली पंचायतों के कई कृषकों को बड़े पैमाने पर फसल एवं मकान क्षति हुई थी। जिला प्रशासन द्वारा अंचल अधिकारी को पदाधिकारी एवं कर्मी उपलब्ध कराते हुये क्षति का आकलन में हर संभव सहायता उपलब्ध करायी गयी। राज्य सरकार के निर्देश के परिपेक्ष्य में लाभुकों का तत्काल राहत पहुँचाने का उद्देश्य से राजस्व शाखा, राँची के पत्रांक 4529(ii)/रा0, दिनांक 02.11.2015; 4578(ii)/05.11.2015 एवं 4922(ii)/03.12.2015 द्वारा बारंबार प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया परन्तु अंचल अधिकारी, नामकुम द्वारा अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया, जिसके फलस्वरूप प्रभावितों को मुआवजा भुगतान नहीं किया जा सका एवं न ही राज्य सरकार से आवंटन की मांग की गई। अतः उक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में स्वतः स्पष्ट है कि श्रीमती कुमुदनी टुडू, अंचल अधिकारी, नामकुम द्वारा अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरती गई है तथा इनके द्वारा नामान्तरण वादों के निष्पादन के क्रम में सेवा अधिकार अधिनियम 2011 का समुचित अनुपालन नहीं किया गया है।"

2. उपायुक्त, राँची के पत्रांक-207(i)/रा0, दिनांक 28.05.2016 द्वारा पुनः श्रीमती कुमुदिनी टुडू, झां०प्र०से०(कोटि क्रमांक-37/20), तत्कालीन अंचल अधिकारी, नामकुम, राँची के विरुद्ध आरोप पत्र उपलब्ध कराया गया, जिसमें निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किया गया है:-

“आरोप:- सचिव, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग झारखण्ड सरकार के पत्रांक 9/आरोप रांची-03/2016/77/रा0 दिनांक 11.01.16 एवं आयुक्त के सचिव, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, रांची का पत्रांक 158/रा0 दिनांक 15.01.16 द्वारा यह संसूचित किया गया था कि नामकुम अंचल के मौजा तुम्बागुट्ट में सेना के लिए अधिग्रहित भूमि का नामांतरण किया गया है जिसमें संयुक्त रूप से जाँच अपर समाहर्ता, उड़नदस्ता (प्रभारी) दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, रांची एवं अपर समाहर्ता, रांची द्वारा की गई, जिसमें जाँच में पाया गया कि अंचल अधिकारी, नामकुम द्वारा निम्न नामान्तरण वाद सं0 532/2015-16, 667/2015-16, 670/2015-16, 799/2015-16, 1545/2015-16, 1912/2015-16, 2116/2015-16, 2117/2015-16, 2225/2015-16, 2275/2015-16, 2276/2015-16, 2385/2015-16, 2386/2015-16, 2588/2015-16, 2690/2015-16, 2692/2015-16, 2694/2015-16, 3323/2015-16, एवं 3324/2015-16 में नामांतरण स्वीकृत किया गया है तथा निम्न नामान्तरण वाद सं0 2844/2014-15, 2890/2014-15, 2891/2014-15, 597/2015-16, 2587/2015-16, 2886/2015-16, 3606/2015-16, 3608/2015-16, 3616/2015-16, 3670/2015-16, 3671/2015-16, 3883/2015-16, 3949/2015-16, 3968/2015-16, 4189/2015-16 एवं 4815/2015-16 में नामांतरण अस्वीकृत किया गया है। उपरोक्त वर्णित अभिलेख में से 532/2015-16, 667/2015-16, 670/2015-16, 799/2015-16, 1545/2015-16, 1912/2015-16, 2116/2015-16, 2117/2015-16, 2225/2015-16, 2275/2015-16, 2276/2015-16, 2385/2015-16, 2386/2015-16, 2588/2015-16, 2690/2015-16, 2692/2015-16, 2694/2015-16, 3323/2015-16, एवं 3324/2015-16 अभिलेखों में 2844/2014-15, 2890/2014-15, 2891/2014-15, 597/2015-16, 2587/2015-16, 2886/2015-16, 3606/2015-16, 3608/2015-16, 3616/2015-16, 3670/2015-16, 3671/2015-16, 3883/2015-16, 3949/2015-16, 3968/2015-16, 4189/2015-16 एवं 4815/2015-16 आधार पर नामांतरण अस्वीकृत किया गया है जबकि उसी खाता प्लॉट में अन्य क्रेताओं के नाम से नामांतरण स्वीकृत किया गया है। स्पष्टतः यह कृत्य गलत मंशा से किया गया है।

उल्लेखनीय है कि अंचल अधिकारी, नामकुम के पत्रांक 294(ii) दिनांक 21.02.15 द्वारा उल्लेख किया गया है कि अपर समाहर्ता, रांची के जापांक 1916(II) दिनांक 03.09.14 के आलोक में प्रतिरक्षा विभाग के द्वारा अर्जित भूमि जो गजट सं0 21/1987 दिनांक 08.01.87, गजट सं0 22/1987 दिनांक 17.01.87 एवं गजट सं0 24/1987 दिनांक 21.02.87 जो क्रमशः मौजा खिजरी के रकबा 69.61 ए0, मौजा तुम्बागुट्ट के रकबा 408.83 ए० तथा मौजा सिदरौल के रकबा 168.71 ए0 से संबंधित है जिसकी (गजट की) छायाप्रति संलग्न है, जिसमें राजस्व कर्मचारी, हल्का सं0 II श्री विजय टोप्पो को आदेश दिया जाता है कि इसकी जमाबंदी प्रतिरक्षा विभाग के नाम से संधारित करते हुए मूल खाता से उन जमाबंदी को खारिज करें एवं कम्प्यूटर में भी संधारित करें एवं सूचना उनको देना सुनिश्चित करें। इसके बावजूद भी अंचल अधिकारी, नामकुम के द्वारा सेना के लिए अर्जित भूमि का नामांतरण स्वीकृत किया गया है।

अंचल अधिकारी, नामकुम को अपर समाहर्ता, राँची के पत्रांक- 649(II)/रा०, दिनांक- 20.02.16 द्वारा यह निदेश दिया गया था कि नामकुम अंचल के मौजा तुम्बागुट्ट में सेना के लिए अर्जित भूमि के अवैध रूप से नामांतरण के संबंध में संलिप्त राजस्व कर्मचारी, विक्रेता आदि को चिन्हित करते कर उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाय तथा कृत कार्रवाई से संसूचित की जाय, परंतु यह कार्य तत्कालीन अंचलाधिकारी, नामकुम के द्वारा नहीं किया गया ।

उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में स्वतः स्पष्ट है कि श्रीमती कुमुदिनी टुडू, तत्कालीन अंचल अधिकारी, नामकुम द्वारा अपने कर्तव्यों में लापरवाही बरती गई है ।"

3. उपर्युक्त प्रतिवेदित आरोपों के लिए क्रमशः विभागीय पत्रांक- 178, दिनांक 08.01.2016 एवं पत्रांक- 5009, दिनांक-15.06.2016 के द्वारा श्रीमती टुडू से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। विभागीय पत्रांक- 178, दिनांक 08.01.2016 के अनुपालन में श्रीमती टुडू के पत्रांक- 63 दिनांक-19.01.2016 के द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। पुनः विभागीय पत्रांक- 5009, दिनांक-15.06.2016 के अनुपालन में श्रीमती टुडू के पत्र, दिनांक- 28.07.2016 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया है। साथ ही श्रीमती टुडू के पत्रांक- 1551 दिनांक- 19.12.2016 द्वारा पूरक स्पष्टीकरण समर्पित किया गया ।

4. विभागीय पत्रांक- 8438 दिनांक- 28.09.2016 के द्वारा श्रीमती टुडू के स्पष्टीकरण पर उपायुक्त, राँची से मंतव्य की माँग की गयी, जिसके क्रम में उपायुक्त, राँची के पत्रांक- 440 दिनांक- 07.12.2016 के द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया है, जिसमें श्रीमती टुडू के स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य नहीं है, प्रतिवेदित किया गया ।

5. श्रीमती टुडू के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों, उक्त आरोपों पर उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, राँची से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत श्रीमती टुडू के विरुद्ध प्राप्त दोनों आरोप पत्रों में गठित आरोपों के लिए विभागीय संकल्प सं०-3793, दिनांक 21.03.2017 द्वारा उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी ।

6. संचालन पदाधिकारी-सह-विभागीय जाँच पदाधिकारी के पत्रांक-317, दिनांक 02.11.2017 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। संचालन पदाधिकारी द्वारा श्रीमती टुडू के विरुद्ध उपायुक्त, राँची के पत्रांक-447(i)/रा०, दिनांक 14.12.2015 द्वारा गठित प्रथम आरोप पत्र में प्रतिवेदित आरोपों को प्रमाणित नहीं माना गया है। परन्तु संचालन पदाधिकारी द्वारा श्रीमती टुडू के विरुद्ध उपायुक्त, राँची के पत्रांक-207(i)/रा०, दिनांक 28.02.2016 द्वारा गठित द्वितीय आरोप पत्र में प्रतिवेदित आरोपों के संबंध में निम्नांकित मंतव्य गठित किया गया है-

"आरोपी के द्वारा मौजा-तुम्बागुट्ट में स्थित प्रतिरक्षा विभाग की जमीन के नामान्तरण में लापरवाही बरतने का आरोप सही प्रतीत होता है ।"

7. श्रीमती टुडू के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनका बचाव बयान एवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि-

(i) आरोपी पदाधिकारी के द्वारा कागज में तो यह आदेश हल्का कर्मचारी को दे दिया गया कि मौजा-तुम्बागुट्ट में अवस्थित प्रतिरक्षा विभाग की भूमि की जमाबंदी प्रतिरक्षा विभाग के नाम से कायम करते हुए मूल खाता से उन जमीनों को खारिज कर कम्प्यूटर में संधारित किया जाय, लेकिन आरोपी के द्वारा यह सुनिश्चित करने का प्रयास नहीं किया गया कि ऑनलाईन संधारित पंजी-॥ में तदनुसार संशोधन किया गया अथवा नहीं ।

(ii) यदि भू-अर्जन की प्रक्रिया के तहत अर्जित भूमि के दाखिल-खारिज का विकल्प ऑनलाईन सिस्टम में नहीं था तो आरोपी को एन०आई०सी० से सम्पर्क कर उसकी व्यवस्था करनी चाहिए थी अथवा उन जमीनों से संबंधित खातों, प्लॉटों को लॉक करवा देना चाहिए था।

(iii) आरोपी पदाधिकारी द्वारा मौजा-तुम्बागुट्ट के खाता सं०-93 प्लॉट सं०-1574 की भूमि का नामन्तरण कई लाभुकों के पक्ष में स्वीकृत किया गया एवं अन्य कई लाभुकों का अस्वीकृत किया गया। इसमें उनके द्वारा अपने बुद्धि-विवेक का उपयोग न कर सिर्फ राजस्व कर्मचारी/अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर निर्णय लिया गया ।

(iv) श्रीमती टुडू द्वारा किसी भी नामन्तरण वादों के निष्पादन में स्वयं दखल-कब्जा के बिन्दु पर स्थल निरीक्षण नहीं किया गया ।

8. श्रीमती टुडू के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनका बचाव बयान एवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरांत श्रीमती टुडू के विरुद्ध प्रस्तावित 'झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के अंतर्गत असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड' पर माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त करते हुए विभागीय पत्रांक-2807, दिनांक 02.05.2022 द्वारा उनसे द्वितीय कारण पृच्छा की गई है। इसके अनुपालन में उनके पत्रांक-810/भू०अ०, दिनांक 29.06.2022 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा जवाब समर्पित किया गया है ।

9. श्रीमती टुडू के द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा में निम्नवत् तथ्य अंकित किया गया है:-

(i). यह आरोप पूर्णरूपेण मनगढ़ंत एवं बेबुनियाद है। मैंने ज्ञापांक-294(ii) दिनांक-21.02.2015 के द्वारा प्रतिरक्षा विभाग द्वारा अधिग्रहित भूमि की जमाबंदी प्रतिरक्षा विभाग के नाम संधारित करते हुए मूल खाता से उन जमीनों को खारिज करें। हल्का कर्मचारी के प्रतिवेदन के आधार पर उनके पत्रांक-368 (ii) दिनांक- 03.03.2016 के द्वारा अपर समाहर्ता, राँची को पत्र प्रेषित करते हुए मार्गदर्शन की मांग की गई यह तभी संभव है जब मैंने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि क्या जमाबंदी संधारित की गयी है या नहीं, प्रतिलिपि भूमि सुधार उपसमाहर्ता सदर, राँची को भी प्रेषित की गई। परन्तु मेरे कार्यकाल में इस संबंध में कोई भी दिशा निर्देश प्राप्त नहीं हुआ और ना

ही रेंट अर्वेडमेंट से संबंधित कोई आदेश प्राप्त हुआ विशेष सूत्रों से पता चला कि वर्ष 1987 में अर्जित भूमि का रेंट अर्वेडमेंट से संबंधित विवरणी भू-अर्जन कार्यालय के द्वारा पत्रांक- 1198 (ii) दिनांक- 08.06.2016 के द्वारा इसकी प्रति अंचलाधिकारी नामकुम को उपलब्ध कराया गया। संबंधित खातों के आंशिक खातों में अर्जित भूमि पूर्व से ही बिक्री होकर पंजी- 2 में दोहरी जमाबंदी चल रही थी, उक्त खातों से उच्चाधिकारी के आदेश से ही रकबा घटाया जा सकता था ।

दाखिल खारिज की प्रक्रिया बिहार टीनेन्ट होल्डिंग (मेन्टिनेन्स ऑफ रिकार्ड्स) एक्ट 1973 के अनुसार किया जाता है। नियम-18 Under Section 7, collector shall send information of Acquisition of Land Acquisition Act 1984 to Anchal Adhikari in maintainance of records form No 16। सेना के बड़े अधिकारियों की बैठक के बाद आनन-फानन में अपर समाहर्ता महोदय के द्वारा केवल गजट की प्रति उपलब्ध करायी गयी जिसमें इस आशय का उल्लेख नहीं है कि भूमि अधिग्रहण कब किया गया, जमीन के विवरण में किस रैयत से भूमि प्राप्त किया गया इसका विवरणी भी दर्ज नहीं है, जिसे मूल रैयत के खाते से घटाया जाना है, जिसके संबंध में मार्गदर्शन की मांग की गयी थी, जो उनके पदस्थापन तक उपलब्ध नहीं कराया गया था ।

(ii). भू-अर्जन की प्रक्रिया के तहत भूमि के दाखिल खारिज का विकल्प ऑनलाईन सिस्टम में नहीं था। इस संबंध में सभी वरीय पदाधिकारियों को अवगत कराया गया था। NIC से इस बात की पुष्टि की जा सकती है कि भू-अर्जन की प्रक्रिया के तहत भूमि के दाखिल खारिज का अपूर्ण सॉफ्टवेयर उनके द्वारा सन् 2021 में लाया गया, जो बार-बार टेस्टिंग मोड में चला जाता है। तकनीकी विशेषज्ञों के द्वारा जब सॉफ्टवेयर को वर्षों बाद तैयार किया जायेगा तो गैर-तकनीकी पदाधिकारी पर इसका दोषारोपण उचित नहीं है ।

(iii). मौजा- तुम्बागुट्ट के खाता संख्या- 93, प्लॉट सं0- 1574 की भूमि का नामान्तरण के संबंध में कहना है कि नामान्तरण विभिन्न तिथियों को किया गया। नामान्तरण की प्रक्रिया में कई बिन्दुओं पर जाँच किया जाता है, एवं उसी आधार पर स्वीकृत/अस्वीकृत किया जाता है। The Bihar tenants holdings(Maintance of Records) Act 1973 के Rule 2 Under Section 13 एवं Under Section 14 अवलोकनीय। दाखिल खारिज एक अनवरत प्रक्रिया है और इसके लिए दोषारोपण किया जाना उचित नहीं है। दाखिल खारिज एक अपीलीय मामला है, आवेदक मामले को अपील में ले जाने हेतु स्वतंत्र है ।

(iv). नामान्तरणवादों के निष्पादन में स्वयं दखल बिन्दु पर स्थल निरीक्षण नहीं किया गया, इस संबंध में मैं कहना चाहूँगी कि उनवादों के स्थल निरीक्षण की आवश्यकता होती है, जिन मामलों में किसी प्रकार की कोई आपत्ति दर्ज/प्राप्त की गयी है ।

उल्लेखनीय है कि उपरोक्त विषयांकित नामान्तरणवाद में अधोहस्ताक्षरी को अनुशंसा करने वाले (1) श्री जयंत विजय टोप्पो, तत्कालीन राजस्व कर्मचारी, नामकुम को उपायुक्त, राँची के आदेश ज्ञापांक-1334 दिनांक-30.09.2021 के द्वारा आरोप मुक्त किया गया ।

(2) श्री अनिल कुमार, तत्कालीन अंचल निरीक्षक, नामकुम को राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखंड राँची के ज्ञापांक- 1073/रा0, दिनांक- 18.03.2019 के द्वारा अधिरोपित दण्ड को समाप्त किया गया है। (3) श्री धनंजय गुप्ता, तत्कालीन राजस्व कर्मचारी-सह-प्रभारी अंचल निरीक्षक, नामकुम को राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखंड सरकार के आदेश ज्ञापांक- 5050(09)/रा0 दिनांक-21.12.2018 के द्वारा आरोप मुक्त किया गया है। नामान्तरण से संबंधी माननीय लोकायुक्त झारखंड द्वारा परिवाद-01/लोक (राजस्व) 09/2015 में दिनांक- 05.09.2018 को पारित आदेश की प्रति उचित निर्णायार्थ संलग्न की जा रही है।

10. श्रीमती टुडू के द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा निम्न समीक्षा बिन्दुओं के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया:-

(i) आरोपी पदाधिकारी के द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा के साथ संदर्भित ज्ञापांक 294(ii) दिनांक- 21.02.2015 की प्रति संलग्न नहीं है। उनके द्वारा प्रतिवेदित है कि मूल खाता से बिक्री एवं दाखिल-खारिज होकर नया जमाबंदी कायम किया गया है, परन्तु मूल खाता से रकबा घटाने के सम्बन्ध में कोई तथ्य अंकित नहीं है। फलस्वरूप दोहरी जमाबंदी कायम हुई।

भू-अर्जन हो जाने के पश्चात् अर्जित भूमि की मांग संबंधित रैयत की जमाबंदी से खारिज होकर अर्जन के पश्चात् अधियाचित निकाय के साथ उसकी जमाबंदी कर दिये जाने का प्रावधान है। दोहरी जमाबंदी की मामला भी प्रकाश में आती है, तो इसे रद्द करने हेतु नियमानुसार अभिलेख खोलकर भूमि सुधार उपसमाहर्ता के पास भेजा जाना चाहिए, परन्तु आरोपी पदाधिकारी द्वारा ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई। आरोपी पदाधिकारी के समर्पित स्पष्टीकरण के अनुसार अपर समाहर्ता के द्वारा उपलब्ध कराये गये गजट की प्रति में जमीन की विवरणी, भूमि अधिग्रहण की तिथि एवं संबंधित रैयत की विवरणी अंकित नहीं है। परन्तु आरोपी पदाधिकारी द्वारा समर्पित अनुलग्नक-II के रूप में उक्त की प्रति से स्पष्ट है कि उसमें भूमि, पुराने रैयत एवं नये रैयत आदि से संबंधित पूर्ण विवरणी प्रविष्टि करने हेतु कॉलम अंकित है।

(ii) यदि ऑनलाइन सिस्टम में भू-अर्जन के आधार पर दाखिल-खारिज करने का प्रावधान उपलब्ध नहीं था, तो आरोपी पदाधिकारी को अविलम्ब इस संबंध में उपायुक्त के माध्यम से विभाग को पत्र भेज कर भू-अर्जन के फलस्वरूप दाखिल-खारिज का प्रावधान सुनिश्चित कराया जाना चाहिए था।

(iii) आरोपी पदाधिकारी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण से स्पष्ट है कि उक्त मामला भू-अर्जन द्वारा अर्जित की गई भूमि एवं दोहरी जमाबंदी से संबंधित है। ऐसे में प्रत्येक मामला को स्थल जाँच कर दोहरी जमाबंदी को रद्द करने के पश्चात् दाखिल-खारिज किया जाना चाहिए था।

11. उपायुक्त, राँची के पत्रांक-100(I), दिनांक- 16.07.2024 के माध्यम से उपायुक्त, राँची के पत्रांक-30(I), दिनांक- 19.02.2024 द्वारा आरोप पत्र में वर्णित नामांतरण में सन्निहित भूमि का बाजार मूल्य एवं इन मामलों में दायर नामांतरण अपील के संबंध में प्रतिवेदन प्राप्त है।

अतः समीक्षोपरांत, श्रीमती कुमुदिनी टुडू, झा०प्र०से०(कोटि क्रमांक-35/20), तत्कालीन अंचल अधिकारी, नामकुम, राँची द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकार करते हुए उनके विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के अन्तर्गत असंचयात्मक प्रभाव से 02(दो) वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है ।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्रीमती कुमुदिनी टुडू, झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय ।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	KUMUDINI TUDU 20060400028	श्रीमती कुमुदिनी टुडू, झा०प्र०से०(कोटि क्रमांक-35/20), तत्कालीन अंचल अधिकारी, नामकुम, राँची द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकार करते हुए उनके विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के अन्तर्गत असंचयात्मक प्रभाव से 02(दो) वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्टु दोराईबुरु,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

जीपीएफ संख्या:20060400057
